न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 226/17
निर्णय दिनांक : 02.05.2018

1. बोदूराम पुत्र लाला
2. लक्ष्मण पुत्र लाला
3. रतनलाल पुत्र लाला
4. घीसीदेवी पुत्री लाला
5. स्रजूदेवी पुत्री लाला
6. सुप्यारदेवी पुत्री लाला

समस्त जाति जाट नि0 चैनपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. पानादेवी पत्नि रामदेव
2. रामगोपाल पुत्र रामकरण
3. धन्नीदेवी पत्नि रामकरण
4. कानाराम पुत्र रामकरण
5. पाचूंराम पुत्र रामकरण
6. छीतर पुत्र भैरू

समस्त जाति जाट नि0 चैनपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

7. तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले0रे0ऐक्ट

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण के पिता लाला पुत्र हीरा छोड़ी हुई आराजी ख0नं0 281 रकबा 22 बीघा वाकै ग्राम चैनपुरा प0ह0 चैनपुरा तह0 फुलेरा में स्थित है जिसकी वर्तमान चालू जमाबन्दी संवत् 2072–75 में इन्द्राज निम्न प्रकार से है " पानादेवी पत्नि रामदेव हि0 1/6 राहिन पीएनबी बैंक शाखा सांभरलेक मुर्तहीन रामगोपाल पुत्र रामकरण हि0 4/90 धन्नी पत्नि रामकरण हि0 1/30 राहिन एसबीबीजें शाखा फुलेरा मुर्तहीन छीतर पुत्र भैरू लक्ष्मण रतना पि0 लाला बोदूराम लक्ष्मण रतनलाल घीसीदेवी सरजूदेवी सुप्यारदेवी पि0 लाला कानाराम पांचूराम पि0 रामकरण पांचूराम पि0 रामकरण हि0 8/90 कौम जाट सा0देह0 है" जिसमें प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा है तथा अप्रार्थी सं0 1 का 1/6 हिस्सा है तथा अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 का 5/30 हिस्सा है तथा अप्रार्थी सं0 6 का 1/3 हिस्सा है। पेरा नं0 1 में वर्णित आराजी में जिसमें प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा है तथा अप्रार्थी सं0 1 का 1/6 हिस्सा है तथा अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 का 5/30 हिस्सा है तथा अप्रार्थी सं0 6 का 1/3 हिस्सा है परन्तु लिपिकीय त्रुटिवंश सहवन से वर्तमान चालू जमाबन्दी संवत् 2072–75 में इन्द्राज निम्न प्रकार से है "पानादेवी पत्नि रामदेव हि0

Scanned by CamScanner

1/6 रहिन पीएनबी बैंक शाखा सांभरलेक मुर्तहीन रामगोपाल पुत्र रामकरण हि0 4/90 धन्नी पत्नि रामकरण हि0 1/30 रहिन एसबीबीजे शाखा फुलेरा मुर्तहीन छीतर पुत्र भैरू लक्ष्मण रतना पि0 लाला बोदूराम लक्ष्मण रतनलाल घीसीदेवी सरजूदेवी सुप्यारदेवी पि0 लाला कानाराम पांचूराम पि0 रामकरण पांचूराम पि0 रामकरण हि0 8/90 कौम जाट सा0देह0 है" जबकि संवत् 2060–63 में राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 लगा0 6 का सही हिस्सा दर्ज हो रखा था संवत् 2072–75की जमाबन्दी में गलत इन्द्राज हुआ है जो लिपिकीय त्रुटिवंश सहवन से हुआ है जिसको न्यायहित में इस प्रकार से दुरूस्त किया जाना आवश्यक है "पानादेवी पत्नि रामदेव हि0 1/6 रामगोपाल, कानाराम, पांचूराम पि0 रामकरण, धन्नी पत्नि रामकरण हि0 5/30 कौम जाट, छीतर पुत्र भैरू हि0 1/3, लक्ष्मण, रतना, बोदूराम, घीसीदेवी, सरजूदेवी, सुप्यारदेवी पि0 लाला 1/3 कौम जाट जाट सा0देह0 से जो सही हिस्सा है वर्तमान जमाबन्दी में हिस्सा पक्षकारान का गलत दर्ज हो रखा है प्रार्थीगण का चालू जमाबन्दी में 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र चैनपुरा में पेश हुयी। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी सं0 7 उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 7 की ओर से जवाब पेश किया गया। वकील प्रार्थीगण ने उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व अप्रार्थी सं0 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें अप्रार्थी सं0 7 को इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपति नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का प्रा0पत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 281 रकबा 22 बीघा वाकै ग्राम चैनपुरा प0ह0 चैनपुरा तह0 फुलेरा मे चालू जमाबन्दी के स्थान पर "पानादेवी पत्नि रामदेव हि0 1/6 रामगोपाल, कानाराम, पांचूराम पि0 रामकरण, धन्नी पत्नि रामकरण हि0 5/30 कौम जाट, छीतर पुत्र भैरू हि0 1/3, लक्ष्मण, रतना, बोदूराम, घीसीदेवी, सरजूदेवी, सुप्यारदेवी पि0 लाला हि0 1/3 कौम जाट जाट सा0देह0" से दर्ज कर दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तथा राजस्व रिकार्ड में अंकित रहन इन्द्राज खातेदारों के यथावत रहेगा।तहसीलदार फुलेरा को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 03.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प चैनपुरा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner